सं०सं०–7/प्रा०–01–01/2017– 160 (7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
सभी संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 16-3-2018

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड– 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹76,57,35,546/– (छिहत्तर करोड़ संतावन लाख पैतीस हजार पॉच सौ छियालीस) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–16(7)ब दिनांक–15.05.17, 23(7)ब दिनांक–26.05.17, 31(7)ब दिनांक–07.07.17, 37(7)ब दिनांक–20.07.17, 43(7)ब दिनांक–17.08.17, 55(7)ब दिनांक–04.09.17, 58(7)ब दिनांक–07.09.17, 62(7)ब दिनांक– 18.09.17, 65(7)ब दिनांक–21.09.17, 76(7)ब दिनांक–25.09.17, 87(7) ब दिनांक–13.10.17 एवं 91(7)ब दिनांक–17.10.17, 93(7)ब दिनांक–18.10.17, 107(7)ब दिनांक–7.12.17 124(7)ब दिनांक–29.12.17 एवं 133(7)ब दिनंक–17.01.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–2018 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹76,57,35,546/– (छिहत्तर करोड़ संतावन लाख पैतीस हजार पॉच सौ छियालीस) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड – 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से एवं पुनर्विनियोग (स्वीकृत्यादेश संख्या–198(7) दिनांक–08.02.18 एवं 219(7) दिनांक–14.03.17) से प्राप्त राशि से तथा तृतीय अनुपूरक आगणन (वित्त विभाग के पत्रांक–100D ब15/बी0एस0जी0–06/2018 –307/वि0 दिनांक–15.03.18) के तहत् प्राप्त राशि से निकासी किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री–पूर्त्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03. 2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. मकान किराया के भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार पदाधिकारी से पूर्व में भुगतान नहीं किये जाने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे । सक्षम पदाधिकारी का मकान किराया निर्धारण आदेश एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग का भवन अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की मूल प्रति से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करेंगे ।

13. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–1307 (21) दिनांक–19.11.86 में निर्धारित दर (अधिकतम 10,000/–) दस हजार रूपये वार्षिक में से जो कम हो का ही भुगतान करेंगे । इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी होंगे ।

15. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

16. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

17. संविदा सेवाएँ (28–02) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

18. सामग्री एवं पूर्तियाँ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

19. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

20. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

16/3/18

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 160 (7)9 पटना, दिनांक : 16 – 3 –18

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी– 7/प्रशाखा पदाधिकारी, / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

16/3/18

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्दों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	विद्युत प्रमार (13–04)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	खगड़िया	5000000	6250000	1000000	0	100000	250000	12600000	0	20000	42000	0	150000	65000	0	0	0	300000	5000000	0	18177000	320/8.2.18
2	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	100000	0	120000	0	0	0	0	0	5000000	0	5230000	445/10.2.18
3	सिवान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	1000000	0	0	20000000	1000000	22200000	54/8.2.18
4	बेतिया	5000000	6250000	1000000	0	100000	250000	12600000	0	0	0	100000	0	0	0	1000000	0	500000	15000000	1000000	30200000	247/5.2.18
5	रोहतास	4000000	5000000	800000	0	80000	200000	10080000	149052	5000	60000	0	855000	0	0	50000	0	0	2000000	0	13199052	341/6.2.18, 2144/7.9.17
6	भागलपुर	5000000	6250000	1000000	0	100000	250000	12600000	0	0	60000	50000	0	0	0	50000	3500000	500000	25000000	0	41760000	440/5.2.18
7	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	407541	0	50000	0	350000	0	0	1000000	0	2000000	5000000	1000000	9807541	342/8.2.18, 2913/11.12.17
8	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2200000	496/14.2.18
9	नालन्दा	10000000	12500000	2000000	0	200000	500000	25200000	0	0	200000	50000	0	0	0	0	3500000	500000	30000000	0	59450000	528/19.2.18
10	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	50000	200000	0	0	50000	0	500000	0	0	900000	167/16.2.18
11	मुंगेर	4000000	5000000	800000	0	80000	200000	10080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	10380000	280/13.2.13
12	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	50000	3000000	0	0	0	3200000	169/10.2.18, 117//01.02.18
13	औरंगाबाद	10000000	12500000	2000000	0	200000	500000	25200000	0	0	100000	100000	890000	200000	0	50000	0	500000	5000000	0	32040000	358/7.2.18
14	बाँका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2355500	3500000	500000	1000000	1500000	8855500	294/7.2.18
15	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	3500000	500000	0	1579000	6579000	207/5.2.18
16	गया	8000000	10000000	1600000	0	160000	400000	20160000	0	8000	50000	0	631000	50000	0	0	0	0	10000000	0	30899000	564/23.2.18
17	पूर्णिया	8000000	10000000	1600000	0	160000	400000	20160000	0	41400	100000	50000	800000	0	0	0	0	500000	5000000	0	26651400	316/3.2.18
18	जमुई	5000000	6250000	1000000	0	100000	250000	12600000	0	10000	100000	0	800000	0	100000	0	0	0	2000000	0	15610000	3008/22.12.17
19	कटिहार	1000000	1250000	200000	0	20000	50000	2520000	0	0	20000	0	0	0	0	100000	3500000	500000	0	0	6640000	345/31.1.18
20	भोजपुर	9000000	11250000	1800000	0	180000	450000	22680000	0	0	200000	0	200000	0	0	1000000	3500000	0	25000000	0	52580000	268/23.1.18, 739/22.2.18
21	मुजफ्फरपुर	13147000	11832300	2629400	0	262940	657350	28528990	0	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	5000000	0	33878990	126/12.1.18
22	बेगुसराय	4000000	5000000	800000	0	80000	200000	10080000	0	0	58000	0	0	50000	0	0	0	3000000	5000000	0	18188000	77/11.1.18
23	जहानाबाद	16000000	20139040	2581700	0	1701760	77919	40500419	0	5000	100000	0	0	50000	125000	0	2305015	400000	4000000	0	47485434	129/12.1.18, 144/15.2.18
24	सहरसा	5000000	6250000	1000000	0	100000	250000	12600000	0	0	50000	0	430000	0	0	0	0	1500000	5000000	0	19580000	328/16.2.18

160(ज)a
16-3-18

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा मंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
25	वैशाली	5600000	7000000	1120000	0	112000	280000	14112000	0	30000	0	0	800000	0	0	0	0	0	14000000	0	28942000	220/1.2.18
26	गोपालगंज	5000000	6250000	1000000	0	190000	150000	12590000	0	50000	50000	0	150000	0	0	2000000	0	0	853000	2500000	18193000	80/9.1.18
27	मोतिहारी	0	0	0	0	0	0	0	267690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267690	2322/12.9.17
28	समस्तीपुर	16000000	17600000	8000000	0	320000	800000	42720000	263519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42983519	282/21.12.17, 1990/8.9.17
29	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	417943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417943	2148/11.11.17
30	लखीसराय	10000000	12500000	2000000	0	200000	500000	25200000	50000	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	25465000	204/8.2.18
31	छपरा	10000000	12500000	2000000	0	200000	500000	25200000	0	0	40000	100000	514000	50000	0	200000	0	0	30000000	0	56104000	52/8.1.18
32	किशनगंज	4000000	5000000	800000	0	80000	200000	10080000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	1907000	0	12237000	4/1.1.18
33	शिवहर	4000000	5000000	800000	0	80000	200000	10080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10080000	1162/13.11.17
34	पटना	10000000	12500000	2000000	303000	200000	500000	25503000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25503000	186/9.1.18
35	अररिया	4000000	5000000	800000	0	80000	200000	10080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000000	0	20080000	1763/12.12.17
36	अरवल	1500000	1875000	300000	0	30000	75000	3780000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	5000000	0	8970000	177/6.2.18
37	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150765	0	0	0	0	0	150765	2831/28.12.17
38	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	0	495712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495712	55/12.1.18
39	निदेशक, पी.एच.आई.(व्यवहारिक पोषाहार कार्य.)	30000	37500	6000	25000	600	900	100000	0	0	50000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	155000	966/9.12.17
	कुल	182277000	220983840	40637100	328000	5117300	8291169	457634409	2051457	179400	1930000	690000	7705000	470000	525765	9905500	26305015	12000000	237760000	8579000	765735546	

(छिहत्तर करोड़ संतावन लाख पैतीस हजार पाँच सौ छियालीस) रू0 मात्र

160(7)9
16-3-18

ह0/ 16/3/18
सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध / पुनर्विनियोग / तृतीय अनुपूरक सहित	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001–01–01)	2877650000	2695373000	182277000	2877650000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	3917230000	3696246160	220983840	3917230000	0
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	74660000	34022900	40637100	74660000	0
4	परिवहन भत्ता (0001–01–05)	2020000	1692000	328000	2020000	0
5	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	35970000	30852700	5117300	35970000	0
6	अन्य भत्ता (0001–01–07)	39770000	31478831	8291169	39770000	0
7	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	**6952300000**	**6489665591**	**457634409**	**6947300000**	**5000000**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	4053000	1996474	2051457	4047931	5069
9	यात्रा व्यय (0001–11–01)	2000000	1820600	179400	2000000	0
10	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	7700000	5770000	1930000	7700000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव(0001–13–02)	5500000	4810000	690000	5500000	0
12	दूरभाष (0001–13–03)	1000000	1000000	0	1000000	0
13	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	47700000	39995000	7705000	47700000	0
14	विधि प्रभार (0001–13–05)	2000000	1991900	0	1991900	8100
15	वर्दी / पोषाक (0001–13–06)	6390000	3971200	470000	4441200	1948800
16	किराया महसूल एवं कर (0001–14–01)	6425000	5859162	525765	6384927	40073
17	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	42422000	0	0	0	42422000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001–21–01)	38500000	28594500	9905500	38500000	0
18	दवा भंडार (0001–21–02)	660000000	633694985	26305015	660000000	0
19	आहार / पथ्य (0001–21–03)	100000000	70903000	12000000	82903000	17097000
20	लघु कार्य (0001–27–01)	1000	0	0	0	1000
21	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	10000000	0	0	0	10000000
22	संविदा सेवाएँ (0001–28–02)	2000000000	1762240000	237760000	2000000000	0
23	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	30000000	21421000	8579000	30000000	0
	कुल योगः–	**9915991000**	**9073733412**	**765735546**	**9839468958**	**76522042**

160 (7) 9
16-3-18

16/3/18
सरकार के विशेष सचिव